समाचार

सड़क पर फैलाया निर्माण सामग्री, निगम ने लगाया अर्थदण्ड

(आयुक्त ने दिए निर्देश–शहर में गंदगी करने वालों व सड़क, सार्वजनिक स्थल पर निर्माण सामग्री डम्प करने वालों पर लगातार जारी रहे कार्यवाही)

कोरबा 19 अगस्त 2025 –सड़क पर गिट्टी, रेत, ईंट आदि निर्माण सामग्री डम्प करने पर आज एम. पी.नगर मुख्य मार्ग पर स्थित गायत्री ट्रेडर्स पर निगम ने 2500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं डॉ. हरीश नायक क्लीनिक के सामने गंदगी बिखरी होने एवं सार्वजनिक स्थान सड़क में कचरा डालने पर भी निगम द्वारा 1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों तथा अन्य स्थानों में गंदगी करने व सड़क पर निर्माण सामग्री डम्प करने वालों पर निरंतर कार्यवाही जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

नगर पालिक निगम कोरबा के कोसाबाड़ी उप जोन प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी सुमित गुप्ता ने बताया कि महाराणा प्रताप नगर मुख्य मार्ग पर स्थित गायत्री ट्रेडर्स के द्वारा सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाकर रखी गई थी, जिस पर निगम ने कार्यवाही करते हुए उन पर 2500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे पुनः सड़क व सार्वजनिक स्थल पर निर्माण सामग्री डम्प न करें, अन्यथा अर्थदण्ड के साथ–साथ सामग्री को जप्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होने बताया कि निहारिका क्षेत्र स्थित डॉ. हरीश नायक क्लीनिक के सामने सड़क पर कचरा डाला गया था तथा गंदगी फैलाई गई थी, इस पर भी निगम अमले ने कार्यवाही की तथा 1000 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया।

<u>सड़क, सार्वजनिक स्थल पर न डालें कचरा व निर्माण सामग्री</u> – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने पुनः अपील करते हुए कहा है कि सड़क के किनारे व सार्वजनिक स्थल पर निर्माण सामग्री डम्प न करें, इससे आवागमन बाधित होता है, आमनागरिकों को परेशानी होती है, वहीं सड़क व सार्वजनिक स्थल पर कचरा डालने, गंदगी करने पर निगम की साफ–सफाई व्यवस्था व शहर की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस दिशा में निगम अमले द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है तथा इस पर अर्थदण्ड की कार्यवाही हो रही है, अतः असुविधा से बचने के लिए सड़क, नाली, सार्वजनिक स्थल पर कचरा न डालें, वहीं सड़क व सार्वजनिक स्थान पर सी.एण्ड डी.वेस्ट व निर्माण सामग्री आदि डम्प न करें।